eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

उत्तर– प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी

डॉ0 राजबहादुर मौर्य[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड कॉलेज, झाँसी (उत्तर– प्रदेश) भारत

Received: 20 July 2025 Accepted & Reviewed: 25 July 2025, Published: 31 July 2025

Abstract

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक न्याय, समानता और राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य की राजनीति में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक उपस्थिति सीमित रही, किंतु मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, आरक्षण नीतियों और सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इन वर्गों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद, समाजवादी, बहुजन और क्षेत्रीय दलों ने पिछड़े वर्गों के मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप विधान सभा और लोकसभा में उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता बढ़ी। वर्तमान समय में, पिछड़े वर्ग केवल मतदाता समूह के रूप में ही नहीं, बल्कि नीति–निर्धारक और सत्ता–साझेदार के रूप में भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। यह शोधपत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख कारणों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द– उत्तर प्रदेश, राजनीति, पिछड़ा वर्ग, आरक्षण नीति, मंडल आयोग, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व क्षमता

Introduction

भारतीय राजनीति में उत्तर– प्रदेश का अपना विशेष महत्व है क्योंकि आबादी के लिहाज़ से उत्तर– प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक़ उत्तर– प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जिसमें 10.5 करोड़ पुरुष और 9.5 करोड़ महिला आबादी शामिल है। वर्ष 1931 की जातीय जनगणना के अनुसार उत्तर– प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 41.7 प्रतिशत थी। यद्यपि 1931 की जातीय जनगणना के बाद अब तक देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है बावजूद इसके एक अनुमान के मुताबिक़ उत्तर– प्रदेश में पिछड़े वर्गों की आबादी क़रीब– क़रीब 54 फ़ीसदी के आसपास है। यह माना जा सकता है कि उत्तर– प्रदेश में अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद भी प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बहुत कम रही है। 1952 में मात्र 9 फ़ीसदी, 1957 में 12 प्रतिशत तथा 1962 में केवल 13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियों का रहा है। 1967 के चुनावों के बाद पिछड़ी जातियों के विधायकों का प्रतिशत बढ़कर 29.2 प्रतिशत हो गया था।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

1969–70 में यह आँकड़ा घटकर 26.8 फ़ीसदी पर आ गया । 1993–95 के दौरान यह भागीदारी बढ़ी और 34.2 प्रतिशत पर पहुँच गयी । प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी करने के लिए भारतीय क्रांति दल, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा अपना दल व राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों का गठन हुआ लेकिन राजनीतिक भागीदारी में कोई उल्लेखनीय बदलाव देखने को नहीं मिला।

उत्तर– प्रदेश और यहाँ की राजनीति का महत्व – इसके पूर्व वाक्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आबादी के लिहाज़ से उत्तर– प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस नाते इस राज्य से देश की लोकसभा में सबसे अधिक सांसद चुन कर जाते हैं। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या भी उत्तर– प्रदेश में अन्य किसी भी राज्य से अधिक है। इतना ही नहीं देश की आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 50 वर्षों तक इसी राज्य ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। जनसंख्या के लिहाज़ से यह राज्य विश्व में पाँचवीं सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है।[1] अतीत में उत्तर– प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। छठीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब यह देश 16 महाजनपदों में विभाजित था तब के उनमें से 8 महाजनपदों का सम्बन्ध आज के उत्तर– प्रदेश से ही था । इनमें कुरु (मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर), पॉचाल (बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद), शूरसेन (मथुरा के आसपास), वत्स (इलाहाबाद के आसपास), कोशल (अवध), मल्ल (देवरिया), काशी (वाराणसी) और चेदि (बुंदेलखंड)। मौर्य काल में इन महाजनपदों का शासन मगध से चलता था । कालान्तर में यहाँ कन्नौज के प्रतापी राजा हर्षवर्धन का शासन रहा है। मुग़ल काल में सत्ता का केन्द्र दिल्ली था। 1947 में देश जब गुलामी से मुक्त होकर आज़ाद हुआ तब भारत 14 प्रान्तों में विभाजित था। इन 14 प्रान्तों में से एक संयुक्त प्रांत (आगरा व अवध) था जिसे वर्तमान में उत्तर– प्रदेश के नाम से जानते हैं।[2] वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर– प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता रहा है । देश की आज़ादी के लगभग ढाई साल बाद 12 जनवरी, 1950 को उत्तर– प्रदेश का गठन हुआ और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने पर उत्तर– प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।[3] वर्ष 2000 में उत्तर– प्रदेश के 83 ज़िलों में से 13 ज़िलों को अलग करके एक नए राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया। विभाजन के कारण यहाँ के कुल भूभाग 2,94,411 वर्ग किलोमीटर में से 53,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और लगभग एक करोड़ आबादी यहाँ से अलग हो गयी। बावजूद इसके उत्तर– प्रदेश अभी भी जनसंख्या के लिहाज़ से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।[4] पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, श्री राजीव गाँधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सम्बन्ध उत्तर– प्रदेश से है। एक सांसद के रूप में इन सभी ने उत्तर– प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

उत्तर– प्रदेश में विभिन्न जातीय समूह– यद्यपि पूर्व में यह वर्णित किया जा चुका है कि वर्ष 1931 के बाद देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं हुई लेकिन उत्तर– प्रदेश में वर्ष 2001 में श्री राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में दिनांक 28 जून, 2001 को श्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक न्याय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सदस्यों के रूप में श्री रमापति शास्त्री और श्री दयाराम पाल को नामित किया गया था। समिति ने लगभग 3 महीनों के अध्ययन के बाद 31 अगस्त, 2001 को विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों की कुल आबादी 54.05 प्रतिशत आँकी गई जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 24.94 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 0.06 प्रतिशत रही। लगभग 21 (20.95) फ़ीसदी आबादी में अन्य समूह जिसमें उच्च जातियां, मध्यवर्ती जातियाँ और मुस्लिम समुदाय शामिल था, पायी गई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्ग की 42 जातियों को शामिल किया गया था जबकि 1931 की जाति जनगणना में 79 जातियॉ शामिल थीं।[5] उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर– प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक आबादी वाला समूह है।

अन्य पिछड़ा वर्ग – वर्ष 1870 में मद्रास प्रशासन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया गया। यह अल्प शिक्षित लोगों के उत्थान के लिए किया गया प्रशासनिक प्रयास था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में निचली जातियों (अछूत जातियों को छोड़कर) को अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया गया। दिनांक 13 दिसम्बर, 1946 के संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दावली का प्रयोग अपने भाषण में किया था।[6] 29 जनवरी, 1953 को गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं संसद सदस्य काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य थे। आयोग ने पूरे देश में 2399 पिछड़ी जातियों की सूची जारी की। इनमें से 837 जातियों को सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया। आयोग ने 30 मार्च, 1955 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उत्तर– प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 42.6 प्रतिशत आँकी गई।[7]

उत्तर– प्रदेश विधानसभा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व– (1952,1957,1962 एवं 1967)– 1952 के पहले प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अस्तित्व में आई विधानसभा में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व मात्र 9 फ़ीसदी रहा जबकि उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 58 फ़ीसदी रहा। 1957 में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व में तीन फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ और यह आँकड़ा बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुँच गया जबकि उच्च जातियों के अनुपात में तीन फ़ीसदी की कमी आई और यह आँकड़ा 55 फ़ीसदी पर आ गया। 1962 के चुनाव में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़त हुई और यह अनुपात बढ़कर 13 प्रतिशत पर पहुँच गया। परन्तु

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

मध्यवर्तीय जातियों के प्रतिनिधित्व में गिरावट के कारण इस बार भी उच्च जातियों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व 58 फ़ीसदी पर आ गया। उत्तर– प्रदेश में 1967 के चुनाव में भारी उलटफेर हुआ और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व अचानक बढ़कर 49.2 फ़ीसदी पर आ गया जबकि उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व में लगभग 13 फ़ीसदी की कमी आई और यह 45.3 प्रतिशत पर आ गया। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने भारी संख्या में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा और उन्हें विजय हासिल हुई। लेकिन दो साल बाद हुए मध्यावधि चुनावों में पिछड़ी जाति के विधायकों की तादाद लगभग आधी हो गई और यह आँकड़ा 26.8 प्रतिशत पर आ गया।[8] वर्ष 2002 के बाद से उत्तर– प्रदेश की विधानसभा में सिख समुदाय का कोई भी विधायक नहीं चुना गया।[9]

वर्ष 1974 से 2017 तक पिछड़ी जातियों का उत्तर– प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व – वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 2017 तक उत्तर– प्रदेश की विधानसभा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व थोड़ा– बहुत उतार–चढ़ाव के साथ अधिकतम 32.39 तक पहुँचा है। वर्ष 1974 में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 18.30 प्रतिशत, वर्ष 1977 में 16.78 फ़ीसदी, वर्ष 1980 में 13.36 प्रतिशत, वर्ष 1985 में 19.60 प्रतिशत, 1989 में 24.14 फ़ीसदी, वर्ष 1991 में 27.14 फ़ीसदी, वर्ष 1993 में 32.39 प्रतिशत, वर्ष 1996 में 24.83 फ़ीसदी, वर्ष 2002 में 27.52 फ़ीसदी, वर्ष 2007 में 31.44 प्रतिशत, वर्ष 2012 में 28.46 फ़ीसदी और वर्ष 2017 में 28.96 फ़ीसदी रहा है ।जबकि इसी अवधि में उच्च जातियों का उच्चतम आँकड़ा वर्ष 2017 में 43.81 प्रतिशत रहा है । इस दौरान मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व का आँकड़ा वर्ष 2012 में रहा जब यह 16.34 फ़ीसदी था जबकि न्यूनतम आँकड़ा वर्ष 2017 में था जबकि यह मात्र 5.69 फ़ीसदी था।[9]

सरकार में प्रतिनिधित्व – जहाँ विधायकों का चुनाव आम जनता करती है वहीं सरकार में प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल प्रदान करते हैं। उत्तर– प्रदेश में वर्ष 1952 से लेकर 1984 तक की सरकारों की मंत्रिपरिषद में पिछड़े वर्गों की संख्या सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1984 में कांग्रेस की सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 8.90 प्रतिशत, 1985 में बनी कांग्रेस की सरकार में 13.5 प्रतिशत, पुनरू 1987 में कांग्रेस की ही सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व घटकर 8.60 प्रतिशत पर आ गया ।वर्ष 1989–90 में बनी जनता दल की सरकार में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बढ़कर 14.30 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 में उत्तर– प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 19.35 प्रतिशत पर पहुँच गया जो अब तक का सर्वाधिक प्रतिशत था। वर्ष 1993 में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और पिछड़ी जातियों की राजनीति की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी तथा

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

दलित समाज की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनीं। इस सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पिछली सरकार की तुलना में दो गुना ज़्यादा हो गया और यह 40 प्रतिशत तक पहुँच गया । वर्ष 1995 की सपा और बसपा गठबंधन की सरकार में पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूट गया जबकि पिछड़ी जातियों की सरकार में भागीदारी का आँकड़ा 43.75 तक पहुँच गया। प्रदेश में इसके बाद आज तक फिर कभी दुबारा इस ऑकडे तक भागीदारी नहीं हुई। 1996–97 की भाजपा और बसपा गठबंधन की सरकार में 26.08 प्रतिशत, वर्ष 1999 की भाजपा सरकार में 29.91 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 की भाजपा की ही सरकार में पिछड़े वर्गों की भागीदारी 21 फ़ीसदी रही है।[10]

वर्ष 2002 का विधानसभा चुनाव और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व – वर्ष 2002 में प्रदेश में 14 वीं विधानसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर उत्तर– प्रदेश में सरकार बनाई। इस चुनाव में पिछड़े वर्गों के 135 सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे जो कुल सदस्य संख्या का 33.50 प्रतिशत था । इसमें 131 पुरुष तथा 4 महिलाएँ शामिल थीं। इस सरकार में पिछड़े वर्गों की सरकार में 27.85 प्रतिशत भागीदारी रही जबकि सामान्य वर्गों का प्रतिनिधित्व 46.83 फ़ीसदी रहा। वर्ष 2003 में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़कर 34.69 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2007 में प्रदेश में बसपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी लेकिन इस सरकार में पिछड़ों का दबदबा नहीं रहा और इनकी भागीदारी कम होकर 26.92 प्रतिशत पर आ गई। पुनः वर्ष 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाई लेकिन यहाँ भी पिछड़ों का दबदबा नहीं देखा गया और इन वर्गों का प्रतिनिधित्व 33.33 प्रतिशत के आँकड़े को नहीं पार कर सका। वर्ष 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई और अपनी सरकार में 31.91 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को भागीदारी प्रदान की। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले श्री केशव प्रसाद मौर्य को उप– मुख्यमंत्री बनाया।[11] इस सरकार में उच्च जातियों को 59.57 प्रतिशत भागीदारी मिली जबकि अनुसूचित जातियों को 6.38 और मुसलमानों को 2.13 फ़ीसदी भागीदारी प्राप्त हुई।

यदि दलीय आधार पर देखा जाए तो उत्तर– प्रदेश में वर्ष 2002 के विधानसभा चुनावों में पिछड़े वर्गों के सबसे अधिक 52 विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे जबकि 41 सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आए विधायकों की संख्या थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 15 विधायक पिछड़े वर्ग से चुनकर आए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

से 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से 4, तथा जनता दल (युनाइटेड), अपना दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल तथा समाजवादी जनता पार्टी से एक–एक विधायक चुनकर आए। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 4 विधायक निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे।[12] चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में पिछड़े वर्गों के कुल 23 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 4 स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री तथा 7 राज्य मंत्री शामिल थे। जबकि इसी सरकार में सामान्य वर्ग के 43 सदस्यों को तथा अनुसूचित जाति के 13 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई।

3 मई, 2002 को विधानसभा चुनाव के बाद सुश्री मायावती के नेतृत्व में गठित सरकार का अगले एक वर्ष, तेरह महीने बाद पतन हो गया और 29 अगस्त, 2003 को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में कैबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, सभी को मिलाकर 98 सदस्यीय भारी भरकम मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। इस सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग से कुल मिलाकर 38 मंत्री बनाए गए। जिसमें कैबिनेट स्तर के 13, स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री 4 तथा 21 राज्यमंत्री शामिल किए गए। जबकि कुल 53 मंत्री सामान्य वर्ग से बनाए गए। यदि आँकड़ों में कहा जाए तो सामान्य वर्ग को 54.08 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग से 38.78 फ़ीसदी भागीदारी सरकार में दी गई।[13]

वर्ष 2007 के सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में कुल 127 विधायक ऐसे थे जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, चुनाव जीते। यह कुल सीटों का 31.51 प्रतिशत था। जबकि 187 विधायक सामान्य वर्ग के थे जो कि कुल सीटों का 46.41 प्रतिशत था। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 2 प्रतिशत विधायक पिछड़े वर्गों से अधिक चुनाव जीतने में कामयाब रहे।[14] यदि दलीय आधार पर विश्लेषण किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँचे पिछड़े वर्गों के विधायकों की संख्या 59 थी जबकि समाजवादी पार्टी से पिछड़े वर्ग के 43 विधायक चुनाव जीते। शेष भारतीय जनता पार्टी से 10, राष्ट्रीय लोकदल से 5, कांग्रेस से 2, राष्ट्रीय परिवर्तन दल से 2, भारतीय जनशक्ति पार्टी से 1, उत्तर–प्रदेश संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से 1 तथा निर्दलीय 4 प्रत्याशी ऐसे चुनाव जीते जो पिछड़े वर्ग से आते थे।[15]

निष्कर्ष – उत्तर– प्रदेश में वर्ष 1931 की जातीय जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 42.60 प्रतिशत थी। उस समय उत्तर– प्रदेश को युनाइटेड प्रोविन्सेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। जबकि उसके बाद 1955 में बने काका कालेलकर आयोग

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

के मुताबिक़ यहाँ पिछड़े वर्ग की आबादी 42.60 प्रतिशत पायी गयी। वर्ष 2001 में सामाजिक न्याय समिति ने उत्तर– प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 54.05 आँकी। जबकि वर्ष 2018–19 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 54.50 बताई गयी। उपरोक्त पूरा विवरण यह बताता है कि उत्तर– प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सबसे अधिक राजनीतिक सहभागिता 1967 के चुनाव में रही। बाद के किसी भी चुनाव में यह रिकॉर्ड नहीं टूटा। वर्ष 2002 में 135 विधायक, 2007 में 127 विधायक, 2012 में 134 विधायक तथा 2017 में 125 विधायक पिछड़े वर्ग से आए । जबकि इसी अवधि में क्रमशः 23, (29.11) 38,(38.78) 16, (30.77 प्रतिशत) 18 (37.49) एवं 15 (31.91 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल रहे।

सन्दर्भ स्रोत–

1– http:/www.unfpa.org/data/world- population- dashboard. **16/03/2020**16 / 03 / 2020, सिंह अभयराज के शोध प्रबंध– उत्तर– प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी, पेज नंबर 1

2– उत्तर– प्रदेश 2016, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर– प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 11,12

3– भारत 2002, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 781–82

4–उत्तर– प्रदेश 2016, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर– प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 215,16

5– सामाजिक न्याय समिति, उत्तर– प्रदेश सरकार, 2001, पृष्ठ संख्या 58

6– Jaffrelot, Christophe, 2003, India's silent Revolution : The Rise of Lower Caste's in North India, New Delhi, Permanent Black, pp. 214

7- Report of the Backward class commission, Vol.III, Page no. 14,15

8- Christophe Jaffrelot and Sanjay Kumar, Rise of the Plebeians ? The Changing face of Indian Legislative Assembly, Routledge Publication, New Delhi, 2009, Page no- 35

9- Christophe Jaffrelot and Sanjay Kumar, Rise of the Plebeians ? The Changing face of Indian Legislative Assembly, Routledge Publication, New Delhi, 2009, Page no- 36 (वर्ष 2007, 2012 और 2017 के आँकड़े बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोधार्थी अभयराज सिंह के शोध– प्रबन्ध से लिये गये हैं)

10– Christophe Jaffrelot and Sanjay Kumar, Rise of the Plebeians ? The Changing face of Indian Legislative Assembly, Routledge Publication, New Delhi, 2009, Page no- 55-59

11– सदस्य परिचय– उत्तर– प्रदेश की 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं विधानसभा, के विभिन्न पृष्ठों से, विधान भवन पुस्तकालय, लखनऊ से संग्रहीत, डॉ. अभयराज सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध– प्रबन्ध से साभार

12– सदस्य परिचय– उत्तर– प्रदेश की 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं विधानसभा, के विभिन्न पृष्ठों से, विधान भवन पुस्तकालय, लखनऊ से संग्रहीत, डॉ. अभयराज सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध– प्रबन्ध से साभार, पृष्ठ संख्या– 69

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

13– सदस्य परिचय – उत्तर– प्रदेश की 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं विधानसभा, के विभिन्न पृष्ठों से, विधान भवन पुस्तकालय, लखनऊ से संग्रहीत, डॉ. अभयराज सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध– प्रबन्ध से साभार, पृष्ठ संख्या– 80

14–सदस्य परिचय रू उत्तर– प्रदेश की 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं विधानसभा, के विभिन्न पृष्ठों से, विधान भवन पुस्तकालय, लखनऊ से संग्रहीत, डॉ. अभयराज सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध– प्रबन्ध से साभार, पृष्ठ संख्या– 91

15– सदस्य परिचय – उत्तर– प्रदेश की 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 17 वीं विधानसभा, के विभिन्न पृष्ठों से, विधान भवन पुस्तकालय, लखनऊ से संग्रहीत, डॉ. अभयराज सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध– प्रबन्ध से साभार, पृष्ठ संख्या– 112